

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A-32, 2nd Floor,
Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road,
New Delhi-110044, INDIA
Tel.: +91-11-26991508, 26991509
Fax : +91-11-26991510
Email : aksh@akshoptifibre.com
Website : www.akshoptifibre.com
CIN NO. : L24305RJ1986PLC016132

August 28, 2020

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 40005	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Bombay-400 001
---	---

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of Newspaper Publication published in “The Financial Express” and “Lokmat” in compliance with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, regarding 33rd Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, September 21, 2020 at 11: 30 a.m. through video conferencing / other audio visual means.

Kindly acknowledge the same.

For Aksh Optifibre Limited



Gaurav Mehta
Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

We smarten up your life..™

Place: Surat
Date: 26th August, 2020

Mitul Shah
Managing Director



AKSH OPTIFIBRE LIMITED

CIN: L24305RJ1988PLC016132

Regd. Office: F-1080, RIICO Industrial Area, Phase -III, Bhiwadi -301019, Rajasthan
Phone No.: 91-1493-220763, 221333, Fax No.: 91-1493-221329
Corporate Office: A-32, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi- 110044
Tel. No. 011-49991700, Fax No. 011-49991800
E-mail: investor.relations@akshoptifibre.com Website: www.akshoptifibre.com

Information regarding 33rd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means

The 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Aksh Optifibre Limited ("the Company") will be held on 11:30 A.M. on Monday, September 21, 2020, through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 ("SEBI Circular"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for financial year 2019-20 will be sent only through email to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents will also be available on the website of the Company at www.akshoptifibre.com, the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the Company's RTA (<https://evoting.karvy.com/public/Downloads.aspx>).

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-voting") and the business set out in the Notice of AGM may be transacted through E-Voting. The Company has engaged KFin to provide the facility of remote E-voting and facility of E-voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through KFin e-Voting System. Members may access the same at: <http://evoting.karvy.com> under shareholder/member login by using the remote E-voting credentials. The process and manner of remote E-voting, attending the AGM through VC/OAVM and E-voting during AGM, for members holding shares in demat form or physical form and for the members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM.

A member whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s) and who wish to receive through email, the notice of AGM and Annual Report 2019-2020 and obtain User ID and password to participate in the AGM through VC/OAVM and vote through E-voting system in the AGM or through remote E-voting can get his/her/its email address registered by following the procedure mentioned below:

- For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self attested copy of the PAN and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to enward.ris@kfintech.com.
- For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.
- Members who have not registered their e-mail address and, therefore, are not able to receive the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting instructions, may temporarily get their email address and mobile number registered with the Company's RTA, KFinTech by accessing the link https://ris.kfintech.com/email_registration.

for Aksh Optifibre Limited

Place: Noida
Date: August 26, 2020

Sd/-
Gaurav Mehta
Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

h) For any information given pursuant to Section 91 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Section 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, that the Register of Members and the books of the Company will remain closed from September 12, 2020 to Thursday, September 17, 2020 (both days) in connection with the annual closing.

For Niyogin Fintech Limited.

Neha Agarwal

Company Secretary & Compliance Officer

Date : August 26, 2020
Place: Kolkata

110037

ENDED JUNE 30, 2020

Sl. No.	Consolidated		
	Quarter ended	Year ended	
	03.2020	(30.06.2019)	(31.03.2020)
	(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)	(Rs. in Lacs)
	Audited	(Unaudited)	(Audited)
	9,554.33	10,143.91	43,118.36
1	(70.84)	(351.09)	922.15
2	347.52	(351.09)	922.15
3	(547.27)	(931.29)	98.95
4	(491.91)	(930.79)	152.69
5	1,165.12	1,165.12	1,165.12
6			
7	(4.70)	(7.99)	0.85
	(4.70)	(7.99)	0.85

Note: Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) and will also be available on the website of the Company (www.hotelwest.com) and will also be available on the website of the Company.

By order of the Board of Directors

SANDEEP GUPTA
EXECUTIVE WHOLE - TIME DIRECTOR
DIN: 00057942

Date:
Place:

विरुद्ध दत्तवास थाने में मुकदमा दर्ज

निवाड़ी। ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग सरपंच व सचिव सहित पांच जनों के विरुद्ध इस्तगासे से दत्तवास थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसकी जांच थानाधिकारी महिपाल सिंह करेंगे। थानाधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि मौसम कुमावत ने इस्तगासे से मुकदमा दर्ज करवाया है कि ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग की सरपंच बीना जाट ने सरपंच के चुनाव में षडयंत्र पूर्वक संतान संबंधी फर्जी दस्तावेज पेश किए जो पूर्णतया फर्जी है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त मामले की ग्राम विकास अधिकारी बजरंगलाल मीणा, सरपंच पति हनुमान जाट, अशोक जाट व सीता जाट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

भाद्रपद की अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने की कनक दंडवत



मीणा, चंद्रनारायण, शंकरलाल, मन्नालाल, गंगासहाय सहित कई लोग मौजूद थे।

निवाड़ी। भाद्रपद की अष्टमी पर बुधवार को तीन गांवों के सैकड़ों श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ कनक दण्डवत करते हुए ज्वालामुखी माता मंदिर पहुंचे। यह जानकारी देते मोतीलाल मीणा ने बताया अष्टमी पर गांव गुड्डाआनंदपुरा, छोटी बरथल व बड़ी बरथल के सैकड़ों श्रद्धालु सरकारी गाइड लाइन के अनुसार कनक दण्डवत करते ज्वालामुखी मंदिर आए। जहां माता के दरबार में माल्था टेंका। इस दौरान श्रद्धालुओं ने संकीर्तन कर माता के दरबार में प्रसाद चढ़ाया। इस दौरान मुख्य रूप से राजाराम मीणा, श्योलाल

करना का लिए विषय कायदायात लगाना चाहिए लेकिन इसके लिए सरकारों की इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। ये विचार उन्होंने उदयपुर जिला सहकार संघ द्वारा बुधवार आयोजित वर्चुअल वेबिनार में गृह निर्माण सहकारी समितियां एवं सहकारिता विषय पर मुख्य वक्ता के नाते बोलते हुए व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास का मुख्य आधार सहकारिता ही है एवं वाइट रेवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह होम रेवोल्यूशन के जरिये शहरी विकास में क्रान्ति लाई जा सकती है।

सेठिया ने सहकारिता व गृह निर्माण सहकारी समितियों से सम्बन्धित कानून व इतिहास की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 (1) (सी) में संस्थाओं के गठन का अधिकार दिया

उदयपुर आवासीय सहायक गृहनिर्माण माया ग कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध हो सकेगा व सरकारी योजनाओं का लाभ भी आमजन को मिल सकेगा।

वार्ता के प्रारम्भ में सहकार संघ अध्यक्ष डाया लाल लवानी ने सभी सहभागियों का स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष किरण कुमार नागौरी ने किया व आभार निवेदक अमृत मेनारिया ने व्यक्त किया।

संवाद कार्यक्रम में सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री प्रमोद सामर, चितौड़गढ़ अरबन्ध को-ऑपरेटिव बैंक की प्रबन्ध निदेशक वन्दना वजीरानी एवं निदेशक बालकिषण भूत, रमेश जागेटिया, दीपक बोलिया, नारायण सिंह चंदाणा, देपराज गुर्जर, छगन मेघवाल आदि सम्पूर्ण मौजूद थे।

सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले ई मित्रों पर कार्रवाई

निवाड़ी।

सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपात्र आवेदकों से सुविधा शुल्क लेकर सरकारी लाभ दिलाने वाले चार ई मित्र केंद्रों को उपखंड अधिकारी रूबी अंसार पेनल्टी लगाकर बंद कर दिया और जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ई मित्र से ऑनलाइन किए गए पेंशन आवेदनों एवं दस्तावेजों की तहसील कार्यालय में तहसीलदार प्राजंल कंबर द्वारा गहनता से जांच की गई और जांच में ई मित्र धारकों

द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेजों में फोटोशॉप द्वारा हेराफेरी करने का मामला सामने आया। जिसके बाद तहसीलदार प्राजंल कंबर ने ई मित्र केंद्रों पर कार्यवाही हेतु उपखंड अधिकारी रूबी अंसार को जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने गांव दत्तवास में संचालित ई मित्र केंद्र रामअवतार वर्मा, गांव सौंदरा ई मित्र केंद्र राजकुमार वर्मा, गांव सिरस में ई मित्र केंद्र शाहबुद्दीन खान और गांव हिंगोनिया में ई मित्र केंद्र जगदीश गुर्जर पर कार्यवाही करते

स्वीकृत के किये जा रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम ने बताया कि जोन-1 में भवानी सिंह रोड़ पर सड़क सीमा में आ रहे पांच भूखण्डों के अवैध बाउण्ड्रीवालों को जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई जोन में पदस्थापित कर्नाट अभियंता, सहायम अभियंता आदि की निशदेही में की गई।

उन्होंने बताया कि जोन-4 में टोंक रोड़ पर तरुछया नगर में पिंकसिटी मैरिज गार्डन के स्वामी द्वारा जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के करीब 12 दुकानों का निर्माण किया जा रहा था जिन्हें जेसीबी व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।

जुर्माना लगाया। उपखंड अधिकारी ने प्रत्येक ई मित्र केंद्र पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाकर चारों ई मित्र केंद्रों को बंद कर दिया तथा जांच के आदेश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने बताया कि इन ई मित्र केंद्रों पर अपात्र आवेदकों की पेंशन भी निरस्त की जाएगी पूर्व में किए गए एवं नए पेंशन आवेदनों और दस्तावेजों की विस्तार से जांच की जा रही है इनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर ई मित्र एवं आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड
 CIN: L24305RJ1989PLC016132
 पंजी. कार्यालय: एफ-1080, सीके इंस्टीट्यूट एरिया, फेज-III, विभागी-301019, राजस्थान
 फोन नं.: 91-1463-220733, 221333, फैक्स नं.: 91-1463-221329
 कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-32, दूरदा कार्पो, मोहन को-ऑपरेटिव इन्स्टीट्यूट एस्टेट,
 मयुरा रोड, पूर्व दिल्ली-110044
 फोन नं.: 011-49991700, फैक्स नं.: 011-49991800
 ई-मेल: investorrelations@akshoptifibre.com वेबसाइट: www.akshoptifibre.com

वित्तियों को ऑप्टिफाइबर/अन्य ऑप्टिको वित्तियों माध्यम से आयोजित होने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पंजीकृत कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अक्टूबर 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 (इसके बाद संशुद्ध रूप से "एनटीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित), सीबी (शुद्धीकरण प्रस्ताव) एवं प्रकटन आवेदनकारिता) अधिनियम, 2015 और परिपत्र सं. सीबी/एनबी/सीएफकी/सीएफकी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सीबी परिपत्र") के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के समाप्तन के लिए अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कोषवार, 21 सितम्बर, 2020 को अथ. 11.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑप्टिको वित्तियों माध्यम से ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/वित्तीय विभाग(वीसी) के पास पंजीकृत हैं। वे दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.akshoptifibre.com और रॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् वीएसडी लिमिटेड www.vseindia.com और नेशनल रॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com तथा कंपनी के आरटीए की वेबसाइट (<http://e.voting.karvy.com/public/Downloads.aspx>) पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालि ("ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में विचार योग्य प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध करा रही है और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। कंपनी ने रिपोर्ट ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोविड को नियुक्त किया है। सदस्यों को कोविड ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्यगण रिपोर्ट ई-वोटिंग क्रैडेंशियल का उपयोग करके मोबाइल/सदस्य लॉगिन के अर्थात् <http://e.voting.karvy.com> पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। वित्त विभाग का भौतिक प्रारूप में भंडारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए रिपोर्ट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

ऐसे सदस्य जिनकी अपना ई-मेल पता कंपनी/वित्तीय विभागों के पास पंजीकृत नहीं करवाया है और जो एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले पूर्व आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहते हैं तथा एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट या रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना चाहते हैं, वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं।

क. भौतिक प्रारूप में भंडारण करने वाले सदस्यगण कृपया अपना पंजीकृत नम्बर, पुरा पता, बैंक आईडी तथा सदस्य के पंजीकृत पते के सम्बन्ध में कोई एक दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टिपण्ड, आधार) की स्कैन की गई एन-रूपायित प्रति तैयार पंजीकृत किये जाने वाले ई-मेल पते को साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई shareholder@akshoptifibre.com पर भेजकर इसे पंजीकृत कराएं।

ख. वित्त विभाग में भंडारण करने वाले सदस्यगण कृपया अपने संबंधित वित्तीय विभागों के माध्यम से अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं।

ग. सदस्यगण जिनकी अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग विभागों द्वारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, वह कंपनी के आरटीए, कोफिनटेक के लिंक https://ris.mfnstech.com/annual_registration को एक्सेस करने वहां अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर जल्दाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं।

गुप्त अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड
 हस्ता/—
 निदेशक
 दिनांक: 25 अगस्त, 2020
 मुख्य-कारपोरेट कार्य एवं कंपनी अधिकारी

निर्देशक अक्ष ऑप्टीफाइबर लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।